छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

<u>शिकायत प्रकरण क्रमांक 14/2006</u>

श्री बी. के. मेहता, ... आवेदक
662, सुन्दर नगर,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी, ... अनावेदक
कुलसचिव,
पं0रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

:: आदेश ::
(26 जुलाई 2006)

आवेदक श्री बी.के.मेहता के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–18 के अंतर्गत शिकायत पत्र प्रस्तुत किया है कि आवेदक ने कुलसचिव, पं0रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय सूचना अधिकारी से आवेदन पत्र दिनांक 24 अक्टूबर 2005, 3 नवंबर 2005, 9 नवंबर 2005 एवं 10 नवंबर 2005 के द्वारा आवश्यक आवेदन शुल्क जमा कराकर कतिपय अभिलेखों की जानकारी चाही। आवेदक ने अपने आवेदन पत्र में उल्लेख किया कि उसे निर्धारित अवधि में जन सूचना अधिकारी, पं0रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के द्वारा जानकारी नहीं दी गई।

आयोग के द्वारा जन सूचना अधिकारी, पं0रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय को नोटिस जारी किया गया। उन्होंने अपने जवाब में बतलाया कि आवेदक के द्वारा एक ही रसीद का दो जगह उपयोग कर जानकारी चाही गई। उन्हें 23–11–2005 को सूचित किया गया कि निर्धारित शुल्क जमा कर जानकारी प्राप्त करें। किन्तु उनके द्वारा जानकारी लेने से इंकार किया गया। आवेदन पत्र दिनांक 05–11–2005 के संबंध में उन्होंने आवेदन शुल्क जमा नहीं किया। दिनांक 9–11–2005 के आवेदन के संबंध में आवेदक को धारा–19(1) के अंतर्गत अपीलीय अधिकारी को अपील करना था। दिनांक 10–11–2005 के संबंध में भी आवेदक को सूचित किया गया कि दस्तावेज उपलब्ध होते ही उन्हें जानकारी प्रदान की जावेगी। यह भी उल्लेख किया गया कि संबंधित जानकारी डॉ0 मेहता के ही पास थी तथा उसी विभाग से निर्मित हुई। मांगी गई जानकारी उनके स्वयं के संरक्षण होने के पश्चात् भी उन्होंने मांगी।

दिनांक 25–04–2006 को समयावधि में आवेदक को जानकारी उपलब्ध न कराने तथा जिसकी सूचना देने में विलंब करने के कारण जन सूचना अधिकारी को 25,000/– रूपए (पच्चीस हजार रूपए मात्र) शास्ति क्यों न आरोपित की जावे, इसका

नोटिस जारी किया गया। जन सूचना अधिकारी के द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। दिनांक 12–07–2006 को आवेदक अनुपस्थित रहा। अनावेदक को सुना गया।

प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जन सूचना अधिकारी ने डॉ0मेहता को जानकारी उनके निवास स्थान के पते पर भी भेजी। चाही गई जानकारी उन्हें प्रदान की। किन्तु उन्होंने लेने से इंकार किया। जन सूचना अधिकारी विस्तृत रूप से आयोग के समक्ष जानकारी दिया कि डॉ0 मेहता के किस आवेदन के संदर्भ में उन्हें कब–कब जानकारी दी गई। उन्हें दिनांक 22–04–2006 को 81 पेजों में दस्तावेज की प्रति दी गई है तथा बाद में भी अन्य जानकारी निःशुल्क दी गई। प्रकरण से यह भी स्पष्ट हुआ है कि आवेदक ने एक ही शिकायत में चार आवेदन पत्रों की जानकारी उपलब्ध न होने का उल्लेख किया है, जबकि आवेदक के द्वारा एक आवेदन पत्र का शुल्क भी जमा नहीं किया गया था। जन सूचना अधिकारी ने आवेदक को पर्याप्त जानकारी प्रदान कर दी। अतः जन सूचना अधिकारी को अर्थदण्ड दिये जाने का कोई आधार नहीं है। अतः प्रस्तुत उत्तर पर पूर्ण विचारोपरांत जन सूचना अधिकारी को 25,000/– रूपए (पच्चीस हजार रूपए मात्र) की शास्ति अधिरोपित करने का सूचना–पत्र निरस्त किया जाता है। आवेदक की शिकायत नस्तीबद्ध की जाती है तथा प्रकरण समाप्त किया जाता है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त